

**मध्यप्रदेश शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

**// आदेश //**

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2016

क्रमांक एफ-1(सी)/7/2015/ई/चार, राज्य शासन एतद् द्वारा संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश के अंतर्गत सहायक संचालक के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उप संचालक के पद पर वेतनमान रूपये 15600-39100 ग्रेड-पे 6600/- में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करते हुये अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कॉलम-4 में दर्शाये अनुसार पदस्थ करता है :-

स.क्रं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	प्रस्तावित पदस्थापना
1	2	3	4
01.	सुश्री अर्चना उईके	सहायक संचालक आवासीय संपरीक्षा, नगर पालिका सिवनी	उप संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा जबलपुर
02.	श्री अजय कुमार अत्रि	सहायक संचालक आवासीय संपरीक्षा, नगर पालिका होशंगाबाद	उप संचालक संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ, भोपाल
03.	श्री देवी लाल जाटव	सहायक संचालक आवासीय संपरीक्षा, विकास प्राधिकरण, ग्वालियर	उप संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर


2/ संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा प्रकोष्ठ भोपाल में पदस्थ श्री दीपक परिहार, उप संचालक वर्तमान में एन.आई.एफ.एम.फरीदाबाद में प्रशिक्षण पर है, को प्रशासकीय दृष्टि से क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, भोपाल में आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।

3/- उपरोक्त पदोन्नति में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है।

4-/ उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी आदेश दिनांक से 7 दिवस के अंदर नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार,

  
(अनिल कुमार)  
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग


//2//

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-1(सी)/7/2015/ई/चार

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि:-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन के विशेष सहायक,
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के स्टाफ आफीसर,
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सहायक,
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,
5. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
6. अपर संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (प्रकोष्ठ), भोपाल,
7. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर/रीवा/भोपाल/उज्जैन/सागर,
8. कोषालय अधिकारी, जबलपुर/भोपाल/ग्वालियर,
9. संबंधित अधिकारीगण -----  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
( श्रृंखला संगीने )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

**मध्यप्रदेश शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

**// आदेश //**

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2016

क्रमांक एफ-1(सी)/1/2012/ई/चार, राज्य शासन एतद् द्वारा संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश के अंतर्गत उप संचालक के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को संयुक्त संचालक के पद पर वेतनमान रूपये 15600-39100 ग्रेड-पे 7600/- में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करते हुये अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कॉलम-4 में दर्शाये अनुसार पदस्थ करता है :-

स.क्रं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	प्रस्तावित पदस्थापना	रिमार्क
1	2	3	4	5
01.	श्री आर.के.सोनी	उप संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा इंदौर	संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा इंदौर	कार्यालय प्रमुख संयुक्त संचालक होंगे। संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा उज्जैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।
02.	श्री मनोज बरेहिया	उप संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर	संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर	कार्यालय प्रमुख संयुक्त संचालक होंगे।
03.	श्री अमित विजय पाठक	उप संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा जबलपुर	संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा जबलपुर	कार्यालय प्रमुख संयुक्त संचालक होंगे।
04.	श्री अनिल कुमार गर्ग	उप संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल	संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल	कार्यालय प्रमुख संयुक्त संचालक होंगे।

*(Handwritten signature)*

//2//

3/- उपरोक्त पदोन्नति में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है।

4-/ उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी आदेश दिनांक से 7 दिवस के अंदर नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार,



( अनिरुद्ध मुकुर्जी )

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग


भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2016

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-1(सी)/1/2012/ई/चार

प्रतिलिपि:-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन के विशेष सहायक,
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के स्टाफ आफीसर,
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सहायक,
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,
5. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
6. अपर संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा (प्रकोष्ठ), भोपाल,
7. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/इंदौर/जबलपुर/रीवा/भोपाल/उज्जैन/सागर,
8. कोषालय अधिकारी, जबलपुर/भोपाल/इंदौर/ग्वालियर,
9. संबंधित अधिकारीगण -----

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



( श्रृंखला संगीने )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग